

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग
सं0-6/निदे0-DA-JGUA-38-02/2025- 105

प्रेषक,
संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव
सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक-13/08/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-GJUA) के तहत Tribal Multi-purpose Marketing Centre (TMMC) के निर्माण हेतु ₹210.00 लाख (दो करोड़ दस लाख रु0) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-11015/07/2026-DA-JGUA, दिनांक-13.05.2026 के द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत Tribal Multi-purpose Marketing Centre (TMMC) के निर्माण हेतु ₹210.00 लाख (दो करोड़ दस लाख रु0) मात्र के व्यय की स्वीकृति संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है।

2-जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-11015/04/2024-PVTG दिनांक-12.09.2025, पत्रांक-11015/03/2025-DA-JGUA दिनांक-11.06.2025 पत्रांक-11015/04/2024-PVTG दिनांक-27.01.25, एवं पत्रांक-11015/07/2026-DA-JGUA दिनांक-13.05.2026 के आलोक में स्वीकृत क्रियाकलाप/गतिविधियों पर राशि व्यय की जाएगी।

3-वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग सं0-44 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-102-आर्थिक विकास- उपशीर्ष-0203-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)-2701-लघु कार्य-विपत्र कोड-44-2225.02.102.0203 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4-वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5-इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे एवं कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संबंधित जिलों में भवन प्रमंडल-जमुई, भवन प्रमंडल-कैमूर तथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन(LAEO)-प0 चम्पारण, कार्य करेंगे।

6. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-6/निदे0-DA-JGUA-38-02/2025 के पृ0-.....4.2...../टि0 पर प्राप्त है।

7-वित्त विभाग के पत्र संख्या-5292, दिनांक-09.05.2025 के आलोक में स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन एवं व्यय की कार्रवाई CFMS 2.0 के SNA SPARSH Module के माध्यम से किया जाएगा।

अनु0-यथो0।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के सचिव
13.08.26

ज्ञापांक-6/निदे0-DA-JGUA-38-02/2025- 105

पटना, दिनांक-13/08/2026

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/विकास भवन, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई/कैमूर/पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


13.08.26
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-6/निदे0-DA-JGUA-38-02/2025- 105

पटना, दिनांक-13/08/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई/कैमूर/पश्चिम चम्पारण/प्रभारी पदा0, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदा0, सांख्यिकी शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


13.08.26
सरकार के सचिव

Annexure

Grants-in-aid (CCA & General) under Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA-GJUA) during the Year 2026-27 :-

(Rs. in lakh)

Sl. No.	District	Activity	Location	Subject Budget Code	Sanctioned Amount
1	2	3	5	6	7
2	Jamui/ West Champaran/ Kaimur	Tribal Multi- purpose Marketing Centre (TMMC)	Najari, Laxmipur, Jamui/ Gaunaha, West Champaran/ Aadhaura, Kaimur	2701	210.00 (70.00 Lakh Per TMMC)
Total-					210.00

(Two Crore Ten lakh Only)

ज्ञापक- 105 पटना, दिनांक- 13/08/2026 का अनु०।


13.08.26
सरकार के सचिव